


671 Sal. ४/१५०००/- Sdgs 661

1000Rs.



9.8.80 A.M. 6000/-

प्रमाणित करने वाले का नाम और जाति  
का नाम लिखें।  
उपरी संख्या का उल्लंघन करने पर  
प्रत्येक रुपये का दो दशमलव दंडना  
करना चाहिए।


Fee Paid

Rs 1500. 00	2.50
Sol 1/2	— 24
	3.44
<u>1503.44</u>	

नाम मोकीर :- श्रीमती सत्यवन्ती सिंह पति श्री भरत सिंह  
काएम जात राजपुत पेशा गृहस्थी साकीन बदला थाना  
सेन्हा जिला लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय नागरिक

नाम मोकीर अलैह:- श्री गोस्नर कुजूर पिता श्री सिलबानुस  
कुजूर काएम जात उरांव पेशा गृहस्थी एवं नौकरी  
साकीन छतर बगिचा लोहरदगा थाना वो जिला  
लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय नागरिक

1000Rs.



किसीम वासिका:- केवला बैला कलामी  
(SaleDeed)

ताएदाद रुपैया:-मोबलीक 1,50,000/-

एक लाख पच्चास हजार रुपैया'

तफसील जाएदाद:- मावाजी 5डी० जमीन हकियत रेती काएमी  
खाता न० 337 प्लाट न० 2104 नया प्लाट न० 2196  
रकबा 5डी०

जिसका नाप एंव चौहदी

उत्तर जानिब पूरब पक्षिम 55फिट

दक्षिन जानिब पुरब पश्चिम 44फिट

पुरब जानिब उत्तर दक्षिण 44फिट

पश्चिम जानिब उत्तर दक्षिण 44फिट

बामौजीब मैप जो सामील केवाला के नथी है वो रंग  
लाल से दर्शया हुवा है वो मेजरमेन्ट बोगैरह नक्शा मे दर्ज है  
जिसका चौहदी उत्तर राधा देवी दक्षिण पार्ट प्लाट न0 2104  
पुरब पि0 डबलु0 डी0 रोड पक्षीम प्लाट न0 2105 वाके  
मौजा बदला थाना सेन्हा थाना न0 148 जिला लोहरदगा मु0  
कलकटरी डी0 रजिस्टार लोहरदगा वो डी0 सदर सब  
रजिस्टार लोहरदगा जो तरफ से मधुरा महतो के मन मोकीर  
को केवाला बैला कलामी मोसदके रजिस्ट्री तारीख



19/11/1991<sup>ई</sup>0 दस्तावेज न0 1789 सन 1991 के हासील है जिसका म्युटिशन बजरिये केस न0 118 सन 2007-08<sup>ई</sup>0 आदेश दिनांक 27/9/2007<sup>ई</sup>0 नाम से मन मोकीरा के हुवा है वो दुसरा किता जो तरफ से उपेन्द्र महतो वोगैरह के मन मोकीरा को केवाला बैला कलामी मोसदके रजिस्ट्री तारीख 22/6/1989<sup>ई</sup>0 दस्तावेज न0 1165 सन 1989 के हासील है जिसका म्युटिशन बजरिये केस न0 124 सन 2007-08<sup>ई</sup>0 आदेश दिनांक 26/9/2007<sup>ई</sup>0 नाम से मन मोकीरा के हुवा है जो हर तरह के बारदैन वो हकियत के नुकस से पाक वो साफ है अगर किसी किसीम का नुकस होगा तो पाक वो साफ कर देगें वो उसका जवाबदेह वो देनदार है वो होगें अन्दर जमीनदारी झारखंड गंवमिन्ट थुरु सर्कल अफिसर सेन्हा माल सलाने मो0 5रुपैया

जमीन पर मकान बना हुवा नही है जमीन मकान बनोने योग्य है खरिदार जैसा चाहे कच्चा या पक्का एक मंजीला या दो मंजीला मकान तामीर करे हल्का न0 5 के बाके है

यह घोषित किया जाता है कि जमीन मजकुरेबाला खतियान के मुताबिक सरकारी जमीन नही है एंव सरकार के द्वारा अधिग्रहण नही किया गया है यह भी घोषित करते है